



जालौन पुलिस



Operation Conviction

एनडीपीएस के अभियोग में 1 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “**OPERATION CONVICTION**” के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा प्रारंभ की गई **पैरवी अधिकारी स्कीम** के अंतर्गत जालौन पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (एडीजे एनडीपीएस एक्ट कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।

थाना नदीगांव पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 88/26 धारा एनडीपीएस एक्ट के** अभियुक्त 1. गुलाम साबिर पुत्र नजमुल निवासी ग्राम सेंगनपुर मदरसे के पास थाना अयाना जनपद औरैया को माननीय न्यायालय (एडीजे प्रथम कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा **जेल में बितायी गयी अवधि एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।**



अभियोजन अधिकारी
शिवदास पाण्डेय



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे0का0 संजय कुमार
कोर्ट मुहरिर